उमेश कौ० बनाम रमेश कौ०

SDO शाहपुरा

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	वकील उभय पक्ष उप० R० साहब मकदमा पर है। पत्रावली दिनांक 10/5/18 को कैम्प मनोहरपुर में पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। R० साहब नाम आपके द्वारा कैम्प बाड़ीगढ़ी पधारे हैं। पत्रावली आईदा गत आदेश की पालना दिनांक 18/5/18 को कैम्प डावाला में पेश हो।	
	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प डावाला में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली 25/4/17 से लम्बी में है तथा वादी द्वारा प्रतिवादी की तलबी हेतु दावा पेश करने के बाद कोई तलबाना पेश नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि वादी या उनके अधिवक्ता प्रकरण के निस्तारण में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः प्रकरण आज तकमिल व तलबी के अभाव में खारिज किया जाता है। प्रकरण नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)